



प्रेषक,

लाल मणि यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 29 सितम्बर, 2026

विषय: परियोजना मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय, वि०ख०-पिलाना, ग्राम-बालैनी, तहसील-बागपत जनपद-बागपत (प्रथम तहसील) के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-नि०का०/स०शि०/मिट्टी भराई/2108/2026-27, दिनांक 25 जून, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कार्यदायी संस्था- कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ०प्र० जल निगम), लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये मांग पत्र दिनांक 30.04.2026 के द्वारा मिट्टी भराई हेतु कुल धनराशि रू. 81.72 लाख (पी०एफ०ए०डी० द्वारा स्वीकृत धनराशि रू. 5 लाख को घटाते हुये) की मांग की गयी है, के अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही कराने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परियोजना के संबंध में बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या- 58/2025/1/923777/2025-68-5002(002)/6/2023, दिनांक 30 मार्च, 2025 द्वारा व्यय वित्त समिति / पी०एफ०ए०डी० द्वारा आंकलित लागत रू० 2533.87 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ तैंतीस लाख सत्तासी हजार मात्र) (18% जी.एस.टी.सहित) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 35 प्रतिशत अर्थात् रू० 886.85450 लाख (रूपये आठ करोड़ छियासी लाख पच्चासी हजार चार सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

तदोपरान्त शासनादेश संख्या-108/2026/1/1277725/2026-68-5002(002)/6/2023-पार्ट(24) दिनांक 24 मार्च, 2026 द्वारा प्रश्नगत परियोजना के अवशेष निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत आगणन रू० 2533.87 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ तैंतीस लाख सत्तासी हजार मात्र) के क्रम में प्राप्त निविदा दर पर परियोजना की लागत रू० 2509.07739 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ नौ लाख सात हजार सात सौ उनतालीस मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू. 869.49968 लाख (रूपये आठ करोड़ उनहत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ अरसठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परियोजना मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय, वि०ख०-पिलाना, ग्राम-बालैनी, तहसील-बागपत जनपद-बागपत (प्रथम तहसील) के निर्माण से सम्बन्धित संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (मूल स्वीकृत लागत रू० 2533.87 लाख + मिट्टी भराई हेतु लागत रू० 81.72 लाख) कुल प्रस्तावित लागत रू० 2615.59 लाख के सापेक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू० 2607.82 लाख के क्रम में प्रश्नगत परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू० 2607.82 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ सात लाख बयासी हजार मात्र) (18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत प्रायोजना का निर्माण कार्य नामित कार्यदायी संस्था- कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ०प्र० जल निगम), लखनऊ से कराया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च 2026 के प्राविधानों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. कार्य की विशिष्टियाँ मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
4. लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।
5. प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा भविष्य में योजना का कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
6. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।
7. सेंटेज चार्जेज के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 एवं 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा।
9. प्रश्नगत परियोजना के संबंध में व्यय वित्त समिति / पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व आपका होगा।
10. कण्टीजेन्सी के संबंध में यह सुनिश्चित हो लिया जायेगा कि इसकी द्विरावृत्ति तो नहीं हो रही है।
11. पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हो रही बचत की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
लाल मणि यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
- 2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी, जनपद- बागपत।
- 4- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जनपद- बागपत।
- 8- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, जनपद- बागपत।
- 9- प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ /सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
- 11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/3, उ0प्र0 शासन।
- 12- बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल मणि यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।